बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र07–विविध–02/2018– 970– खाद्य, पटना/दिनांक– 23-02-18

प्रेषक,

भरत कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :– राज्य खाद्य निगम के गोदामों पर जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को उपस्थित होने पर प्रतिबंधित करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक निदेशानुसार कहना हैं कि डोर–स्टेप डिलीवरी योजना के अन्तर्गत संचालित Supply Chain Management System के तहत जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को उनके दुकान तक राज्य खाद्य निगम द्वारा जी0पी0एस0 एवं लोडशेल युक्त वाहनों से खाद्यान्न पहुँचाया जाता है एवं एस0आई0ओ0 में उसकी प्राप्ति कराकर सहायक प्रबंधक को वापस किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि राज्य खाद्य निगम द्वारा मोबाईल एप्प विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा अपने दुकान परिसर से खाद्यान्नो की प्राप्ति मोबाईल एप्प के माध्यम से अपलोड करने का प्रावधान किया जा रहा है और जहाँ तक खाद्यान्न पहुँचाने की अचूक व्यवस्था Supply Chain Management System व्यवस्था के तहत होने के कारण जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को राज्य खाद्य निगम के गोदामों पर आने की कतई आवश्यकता नहीं है, फिर भी कतिपय शिकायते प्राप्त हो रही है।

अतः अनुरोध है कि सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को यह निदेश दिया जाय कि वे किसी भी परिस्थिति में गोदाम पर नहीं आयेंगे। इसके साथ ही साथ जिला प्रबंधकों को भी यह निदेश दिया गया है कि ऐसे सभी माप–तौल यन्त्र को दुरस्त कर एस0आई0ओ0 में उल्लिखित मात्रा का खाद्यान्न Dispatch करें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता बरती जाती है तो सभी संबंधित सहायक प्रबंधकों/अपर जिला प्रबंधकों एवं जिला प्रबंधक पर ठोस कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक – प्र07–विविध–02/2018– 970 खाद्य, पटना/ 23-02-18

प्रतिलिपि :– सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक – प्र07–विविध–02/2018– 970 खाद्य, पटना/दिनांक– 23-02-18

प्रतिलिपि :– मुख्य महाप्रबंधक (वितरण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि सभी गोदामों में माप–तौल यंत्र को यथाशीघ्र अभियान चलाकर ठीक करने की कार्रवाई की जाय एवं उपरोक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

सरकार के विशेष सचिव।

D:\2014\Sec_I\Vividh.doc